न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 70/2020

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लि0 (एच.डी.एफ.सी लि0)
पंजीकृत कार्यालय रैमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग,
169, बैकबे रिक्लेमेशन चर्चगेट, मुम्बई 400020,
शाखा कार्यालय एच डी एफ सी लि0,
सी–25 भगवन्त दास रोड, सेन्ट जेवियर्स स्कुल के सामने,
सी–स्कीम, जयपुर

..........प्रार्थी

बनाम

(1) श्री अमर नाथ गुप्ता,
पता:– मकान नं0 66, आना सागर लिंक रोड, अजमेर–305001
(2) श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नि श्री अमर नाथ गुप्ता,
पता:– मकान नं0 66, आना सागर लिंक रोड, अजमेर–305001
(3) श्रीमती वंदना गुप्ता पत्नि स्व0 श्री संजय गुप्ता
कु0 श्रीयांशी उर्फ मुस्कान की प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती वंदना गुप्ता
पता:– फ्लेट नं0 301, फ्लोर–3, गोकुल धाम–2nd प्लॉट 02, क0सी0 विहार, बी के. कौल के पास, गांव बोराज, अजमेर–305001 ....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अवतार सिंह उप्पल अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 20.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री अमर नाथ गुप्ता एवं श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नि श्री अमर नाथ गुप्ता, निवासी:– मकान नं0 66, आना सागर लिंक रोड, अजमेर–305001(राज.) को दिनांक 28.07.2014 को रूपये 24,00,000/–(अक्षरे चौबीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर स्व0 संजय गुप्ता की सम्पत्ति फ्लेट नं0 301, 3rd फ्लोर गोकुल धाम – 2nd, प्लॉट नं0 2, क0सी. विहार, बी.के. कौल नगर के पास, बोराज, अजमेर (राजस्थान) में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.12.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनाक 26.12.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 23,14,701/–(अक्षरे तेईस लाख चौदह हजार सात सौ एक मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नही किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियां के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक स्व0 संजय गुप्ता की सम्पति फ्लेट नं0 301, 3rd फ्लोर गोकुल धाम – 2nd. प्लॉट नं0 2, के0सी. विहार, बी.के. कौल नगर के पास बोराज, अजमेर (राजस्थान) में स्थित है। जिसका क्षैत्रफल 1600 वर्ग फीट है, को का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2020 को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर)